

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.16(3)90 / कार्मिक-राज / प्रमुवसं / 00197 /

दिनांक

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान जयपुर /
टी.आर.ई.ई. राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।
परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.पी.-II / आर.एफ.बी.डी.पी., राजस्थान, जयपुर।
प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राज. जयपुर।
समस्त मुख्य वन संरक्षक.....
समस्त उप वन संरक्षक.....

विषय:- भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा के संबंध में।
संदर्भ:- महानिदेशक एवं पंजीयक (विभागीय परीक्षाएं) हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान
राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर का पत्रांक प.11(1)
रीपा / परीक्षा / वापका-पपै / 2026 / 20373-81 दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके अधीन पदस्थापित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को विज्ञप्ति एवं आवेदन की प्रति वितरित करते हुए उन्हें सूचित कर दें, कि यदि वे माह जून 2026 में आयोजित भारतीय वन सेवा विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से दिनांक 28.02.2026 तक इस कार्यालय में निश्चित रूप से प्रस्तुत कर दें, ताकि पात्रता की जांच कर आवेदन पत्र हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को निश्चित तिथि तक भेजा जा सके। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संलग्न- विज्ञप्ति मय आवेदन

भवदीय,

(पवन कुमार उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.16(3)90 / कार्मिक-राज / प्रमुवसं / 00197 /

दिनांक

प्रतिलिपि:- 1. महानिदेशक एवं पंजीयक विभागीय परीक्षाएं (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017 को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप वन संरक्षक, आई.टी, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख),
राजस्थान, जयपुर।

Validity unknown

Digitally signed by Pavan Kumar Upadhyay
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2026.02.02 18:44:34 IST
Reason: Approved



पता- कमरा नं. ए-416, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302017
फोन नं.-0141-2713823, E-Mail id- dcfta.estt.forest@rajasthan.gov.in/ 20209366

All files, Madan Ji, All Dept., 00197, HCM Ripa

Concerned to further N/A
5/2/26

5/2/26



राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 □ Rajasthan □ India



क्रमांक : प. 11(1) रीपा/परीक्षा/वापका-पपै/2026/20372

दिनांक : 16/01/2026

विज्ञप्ति
जनवरी, 2026

भारतीय वन सेवा (राजस्थान विभागीय परीक्षा के लिए प्रावधान) अधिनियम 1971 के अनुसार समस्त संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026 में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी। परीक्षा संबंधित अन्य विवरण का भी इसमें उल्लेख कर दिया गया है।

परीक्षा तिथि	प्रश्न पत्र	विषय	परीक्षा के लिए संस्थान में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
08.06.2026	पहला	Forest Law	17.04.2026
09.06.2026	दूसरा	Land Revenue System	
10.06.2026	तीसरा	Procedure and Accounts	
11.06.2026	पांचवा	Utilisation of Forest Produce with Special Reference to this State	
12.06.2026	चौथा	Hindi	

(परीक्षा प्रातः 10:30 बजे से होगी)

नोट :- प्रश्न पत्र VI (समाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट) के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को अर्लिंग से ग्राम आवंटन किया जायेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट परीक्षार्थी द्वारा सीधे ही कार्यालय एच.सी.एम. रीपा, जयपुर को परीक्षा समाप्ति की अवधि से 45 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी। उक्त समयवाधि में सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर यथा समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

उक्त नियमों के अन्तर्गत जो भी अधिकारी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे अपना आवेदन-पत्र अपने विभागाध्यक्ष को समय पर भिजवा दें ताकि पात्रता की जाँच आदि करने के पश्चात विभागाध्यक्ष ऐसे अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन-पत्र जिन्हें परीक्षा में बैठने के लिए पात्र पाया गया हो, उन्हें निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय एच.सी.एम. रीपा, जयपुर को भिजवा सकें। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम विवरण (सिलेबस) का उल्लेख नियुक्ति क-1 विभाग राजस्थान जयपुर की विज्ञप्ति संख्या एफ 3 (4) (1) नियुक्ति/क-1/62 दिनांक 24.7.71 द्वारा किया जा चुका है।

(राजेश यादव)

महानिदेशक एवं
पंजीयक (विभागीय परीक्षाएं)


क्रमांक : प. 11(1) रीपा/परीक्षा/वापका-पपै/2026/20373-81

दिनांक : 16/01/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoNF), राजस्थान, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को मय निर्धारित आवेदन-पत्र की रिक्त प्रति भेजकर निवेदन है कि उक्त परीक्षा कार्यक्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित कराने की व्यवस्था करावें। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उस तिथि से भी अवगत करा दें, जिस तिथि तक आवेदन-पत्र आप अपने कार्यालय में परीक्षा हेतु पात्रता की जाँच हेतु प्राप्त करना चाहते हैं। विभागाध्यक्ष पात्र अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन-पत्र एकजाई कर निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय एच.सी.एम. रीपा, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। संस्थान द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाये गये आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों/अधिकारियों द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 2 निजी सचिव, महानिदेशक एवं पंजीयक (विभागीय परीक्षाएं), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन) एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
- 4 निजी सहायक ग्रेड-11, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
- 5 प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं योजना), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
- 6 प्रभारी अधिकारी (विश्रांति/कृष्णापुरी भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
- 7 प्रभारी अधिकारी (परीक्षा), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
- 8 प्रभारी अधिकारी (परिसर-नेहरू भवन एवं पटेल भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
- 9 रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड (नेहरू भवन/पटेल भवन/विश्रांति/कृष्णापुरी भवन)



(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

Schedule -1

विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र

नियम 9(1) देखे

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में) :
- Name of Applicant (In English) :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. सेवा का नाम (नियुक्ति आदि परिवीक्षाधीन स्थाई/ अस्थाई, कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें) :
5. पद एवं नियुक्ति का स्थान :
6. यदि विभागीय परीक्षा में नियमों के अन्तर्गत पहले कभी बैठे हो तो तिथि एवं जिन प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हो गये हो, उल्लेख करें। :
7. गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो तो :
8. सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हैं :
9. प्रश्न-पत्र जिसमें बैठना चाहते हैं। (इसका स्पष्ट उल्लेख करें) :
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

पूरा पता.....

.....पिन कोड.....

मोबाइल नं.

हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाकर आवेदन पत्र पंजीयक, विभागीय परीक्षाएं (समस्त राज्य सेवाएं) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017 को प्रेषित हैं।

आवेदक के उच्च अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पद

नोट : आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश पीछे दिये गये हैं। जिस प्रश्न पत्र में छूट चाही गयी है, उसका क्र.सं. 9 में स्पष्ट उल्लेख करें।

P.T.O.

कार्यालय पंजीयक विभागीय परीक्षाएं (समस्त राज्य सेवाएं) एवं
निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017

क्र. सं. पंजीयन संख्या

श्री जो

में हैं और इस समय के पद पर कार्य कर रहे हैं, को
विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। जो कि दिनांक से
..... तक हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में होगी।

उनकी पंजीयन संख्या ऊपर अंकित की गयी है। भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय इसका उल्लेख
करना आवश्यक है।

पंजीयक

विभागीय परीक्षाएं (समस्त राज्य सेवाएं) एवं
निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश :-

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वयं अपने हाथ से स्याही से भरना चाहिए।
2. अपना नियुक्ति स्थान पूर्ण एवं स्पष्ट लिखें जिससे रोल नम्बर प्राप्त होने में विलम्ब न हो।
3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व उसमें की गयी पूर्तियों की सत्यता की जाँच कर लेनी चाहिए।
4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम लिखना चाहिए।
5. पंजीयक विभागीय परीक्षाएं से प्राप्त रोल नम्बर स्लिप नोट संभाल कर रखना चाहिए। इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी।
6. परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र (टंकित, मुद्रित, फोटोस्टेट) तथा उत्तर-पुस्तिकाएं दी जायेगी। अन्य लेखन सामग्री स्वयं को लानी होगी।
7. जिन प्रश्न पत्रों के नियम, आदेश के उपयोग की छूट है, उसमें केवल वही नियम आदेश की इजाजत होगी जिनके साथ टिप्पणी नहीं होगी।
8. आवेदन पत्र के क्र. सं. 4 के सामने स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिए कि विभागीय परीक्षा के लिए किस प्रावधान के अनुसार विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है।
9. जिन प्रश्न पत्रों में छूट चाही गयी है उनके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ भेजें, जैसे हिन्दी प्रश्न पत्र में छूट चाहने के लिए हाई स्कूल एवं उच्च परीक्षा हिन्दी विषय सहित उत्तीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ भेजे।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।